कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 12.05.2026

“जनपद में शान्ति और कानून का राज कायम रखने के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के अभियोग में वांछित पचास हजार रुपये के इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार”

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 11.03.2026 को थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक अत्यंत संवेदनशील घटना हुई, जिसमें तीन व्यक्तियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई । सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुँची तथा उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए घटनास्थल का निरीक्षण श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन, प्रयागराज एवं श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र, प्रयागराज द्वारा स्वयं किया गया।

निरीक्षण के दौरान घटनास्थल से रक्तरंजित दो ब्लेड, सल्फास के पाउच एवं केमिकल का डिब्बा बरामद हुआ। साथ ही दो गिलासों से सल्फास की गंध आ रही थी। घटनास्थल से मृतक अमर श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ।

बरामद सुसाइड नोट के अनुसार मृतक अमर श्रीवास्तव अत्यधिक कर्ज में डूबा हुआ था तथा कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उसे परेशान किया जा रहा था। साथ ही उसके विरुद्ध एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराने की धमकी दी जा रही थी। तीनों मृतकों के गले एवं हाथ की कलाई पर ब्लेड से कटे हुए निशान पाए गए तथा फर्श पर खून फैला हुआ था। दीवारों पर खून के छींटे पाए गए, जबकि घटनास्थल पर संघर्ष के कोई चिन्ह नहीं मिले।

श्री सुशील श्रीवास्तव द्वारा पुष्टि की गई कि घटनास्थल से प्राप्त सुसाइड नोट उनके पुत्र अमर श्रीवास्तव के हस्तलेख में लिखा गया था। श्री सुशील श्रीवास्तव द्वारा भी घटना को आत्महत्या बताया गया।

वादी श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 77/2026 धारा 108 बीएनएस बनाम अभियुक्तगण—पप्पू उर्फ दिलीप त्रिवेदी ,संजय सिंह ,शुभम ,सोनू व राहुल श्रीवास्तव के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था ।

मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राहुल श्रीवास्तव पुत्र अशोक कुमार श्रीवास्तव निवासी सुन्दरनगर कालोनी थाना कोतवाली फतेहपुर उम्र करीब 40 वर्ष की गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किये जा रहे थे जिसकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज, परिक्षेत्र प्रयागराज द्वारा 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था ।

उल्लेखनीय है कि 04 आरोपियों 1. पप्पू उर्फ दिलीप त्रिवेदी 2. संजय सिंह 3. शुभम 4. सोनू कुमार रैदास को दिनांक – 12.03.2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तारी का विवरण- पुलिस अधीक्षक फतेहपुर, श्री अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के पर्यवेक्षण तथा पुलिस उपाधीक्षक नगर के कुशल नेतृत्व में पंजीकृत उपरोक्त अभियोग मु0अ0सं0 77/2026 धारा 108 BNS की विवेचनात्मक कार्यवाही एवं प्रभावी पतारसी सुरागरसी के परिणाम स्वरुप मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक- 11.05.2026 को समय 22.20 बजे परिक्रमा मार्ग श्याम कुटी के पास थाना क्षेत्र वृन्दावन जनपद मथुरा से उपरोक्त अभियोग में वांछित पचास हजार रुपये के इनामिया अभियुक्त राहुल श्रीवास्तव पुत्र अशोक कुमार श्रीवास्तव निवासी सुन्दरनगर कालोनी थाना कोतवाली फतेहपुर उम्र करीब 40 वर्ष को गिफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को आज दिनांक 12.05.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने हेतु भेजा जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- **अभियुक्त राहुल श्रीवास्तव से पूछताछ की गयी तो उसने बताया कि मेरे द्वारा मृतक अमर को लगभग 01 लाख रुपये उधार दिये थे तथा लगातार रुपये वापस करने हेतु मृतक पर दबाव बनाया जा रहा था। घटना वाले दिन भी अभियुक्त द्वारा मृतक अमर को फोन कर रुपये वापस करने के संबंध में बात करने का प्रयास किया गया था। अभियुक्त ने बताया कि बाद में उसे जानकारी हुई कि मृतक अमर श्रीवास्तव ने अपनी माता, चाचा एवं स्वयं द्वारा आत्महत्या कर ली है। अभियुक्त के अनुसार मृतक द्वारा लिखे गये सुसाइड नोट में उसका नाम भी अंकित किया गया था। सुसाइड नोट में नाम अंकित होने एवं गिरफ्तारी के भय से अभियुक्त अपने परिवार सहित फतेहपुर से फरार हो गया तथा कानपुर, प्रयागराज एवं अन्य स्थानों पर लगातार अपनी लोकेशन बदलकर छिपता रहा। अभियुक्त द्वारा गिरफ्तारी से बचने हेतु अपना मोबाइल फोन एवं सिम भी बदल लिया गया था। अभियुक्त ने बताया कि उसने न्यायालय में आत्मसमर्पण (सरेण्डर) प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया था, जो निरस्त हो गया। इसके बाद वह अपने परिवार सहित मथुरा-वृन्दावन क्षेत्र में जाकर रहने लगा, जहाँ से पुलिस टीम द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया।**

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. राहुल श्रीवास्तव पुत्र अशोक कुमार श्रीवास्तव निवासी सुन्दरनगर कालोनी थाना कोतवाली फतेहपुर उम्र करीब 40 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

A. थाना कोतवाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक **श्री** हेमन्त मिश्रा थाना कोतवाली
2. उ0नि0 गिरीशधर दुबे
3. का0आ0 आशीष कुमार
4. का0 अनीश दीक्षित
5. का0 देवेन्द्र कुमार

B. निरीक्षक श्री शैलेश सिंह, सर्विलांस सेल मय टीम